समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला जनगणना कोषांग)

अल्पकालीन निविदा सूचना

जिला जनगणना कोषांग, मधुबनी द्वारा SECC – 2011 की अंतिम सूची का मुद्रण करानें हेतु अल्प कालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफे में जिला पदाधिकारी –सह– मुख्य SECC पदाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय के जनगणना कोषांग में दिनांक 20.04.2015 को 01:00 बजे अपराह्न तक जमा किया जा सकता है। निविदा उसी दिन 3:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति, मधुबनी के समक्ष खोला जाऐगा। निविदा खोलने के समय निविदा दाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। सभी प्रकार की निविदा की विशिष्टियों आदि का अवलोकन जिला जनगणना कोषांग, मधुबनी में किसी भी कार्य अवधि में किया जा सकता है।

(क) निविदा की तकनीकी शर्तें :

1. फर्म को बिहार वाणिज्य एवं आयकर विभाग में कम से कम तीन वर्षों (2012–13, 13–14 एवं 14–15) पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण पत्र तथा आयकर संख्या (PAN) देना होगा। इसके साथ विगत तीन वर्ष का CA द्वारा Audited Balance Sheet संलग्न करना होगा, जिस में न्युनतम 1000000.00 (दस लाख) का Turn Over होना चाहिए।
2. फर्म का सेवा कर एवं Bihar Shop and Establishment Act के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है।
3. तकनीकी निविदा के साथ जिला पदाधिकारी, मधुबनी के नाम से 10,000.00 (दस हजार रुपये) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रुप में जमा करना होगा।
4. प्रपत्र की छपाई में प्रयुक्त कागज A-4 Size, GSM 70mm एवं Milky White होना चाहिए। छपाई का ईंक गाढा होना चाहिए। नमूना के अनुसार दर अंकित किया जाएगा।
5. अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्य की गुणवत्ता/मात्रा/विशिष्टियों का सत्यापन/जाँच क्रय समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) <u>निविदा की वित्तीय शर्तें :</u>

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म का ही वित्तीय निविदा संबधी लिफाफा खोला जाएगा।
2. वित्तीय निविदा में संबंधित कार्यों का सभी करों सहित दर अलग–अलग उल्लेखित करना होगा।
3. सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जाएगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रति दिन विलम्ब के लिए 10,000.00 (दस हजार रुपये) की दर से संबंधित फर्म के विपत्र से कटौती की जाएगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

5. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से आवंटन प्राप्त होने पर ही निविदा दाता द्वारा किये गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा।

(ग) <u>निविदा की समान्य शर्ते :</u>

1. आवंटित कार्य के Sub-Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी। इस आशय का undertaking तकनीकी निविदा के साथ संल्गन कराना होगा।
2 फर्म के Black Listed नहीं होने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
3 पूर्व अनुभव प्राप्त फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।
4 उपरोक्त शर्तो के अलावे समय–समय पर ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
5 सामग्रियों की आपूर्ति जिला पदाधिकारी–सह– मुख्य SECC पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा निर्धारित स्थानों पर की जाएगीं

6 कार्य सम्पादन जिला पदाधिकारी–सह– मुख्य SECC पदाधिकारी, मधुबनी के पूर्ण नियंत्रण में जिला मुख्यालय में करना होगा।
7 निविदा को रदद् करने, संशोधित करने तथा कार्य की अधिकता के कारण समय से कार्य का निष्पादन कराने हेतु कार्य का आवंटन एक से अधिक फर्म को भरने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। किसी भी स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा।

ह०/–
जिला पदाधिकारी –सह–
मुख्य Secc पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक 570 /जि0जन0को0, दिनांक 31/3/2015

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग, बिहार पटना को उक्त की सात प्रतियाँ सी0डी0 सहित भेजते हुए अनुरेाध है कि उक्त सूचना को किसी तीन प्रमुख दैनिक स्थानीय सामाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ , प्रचार–प्रसार एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं इसे मधुबनी जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31/3/15
जिला पदाधिकारी –सह–
मुख्य Secc पदाधिकारी,
मधुबनी।